न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 128/17 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2017/00028

अनवान्

1. श्री गोपीलाल उर्फ राजु पिता डालचन्द यादव निवासी सनवाड तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता डालचन्द यादव निवासी सनवाड तहसील मावली मृतक के बजायः— 1/1 श्रीमती तारादेवी बेवा रतनलाल यादव निवासी वार्ड नम्बर 4 चंगेडी दरवाजा सनवाड तहसील मावली।
2. कान्ता पुत्री डालचन्द यादव निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. श्री राजु पिता रोडीलाल यादव निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्री कैलाश पिता रोडीलाल यादव निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. श्री मंगल पिता रोडीलाल यादव निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6. श्री पवन पिता रोडीलाल यादव निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
7. श्री अन्नु पिता रोडीलाल यादव निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
8. रेखा पिता रोडीलाल यादव निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
9. स्व. श्रीमती लीलाबाई बेवा चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
10. श्री मनोज पिता चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
11. श्री शेखर पिता चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
12. संगीता पुत्री चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
13. नगरपालिका फतहनगर सनवाड जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतहनगर सनवाड तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री फारूक मोहम्मद, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री शिवदयाल राव, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1, 2
3. श्री मनीष कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 13

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 23.04.2026

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 1220, 1221, 1222, 1223 एवं 1236 किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा 75 बिश्वांसी स्थित होकर पूर्व में श्री डालचन्द पिता खेमराज यादव के नाम अंकित थी। वर्तमान में उपरोक्त आराजी राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 9 से 12 के पति व पिता श्री चुन्नीलाल हरिजन पिता भेरूलाल हरिजन एवं विपक्षी संख्या 13 के नाम पर हिस्सानुसार अंकित हैं।
2. यह कि उपरोक्त आराजीयात पूर्व में डालचन्द पिता खेमराज यादव के खातेदारी आधिपत्य की थी। डालचन्द जी का स्वर्गवास हो चुका है। डालचन्द जी का सजरा निम्नानुसार है :—

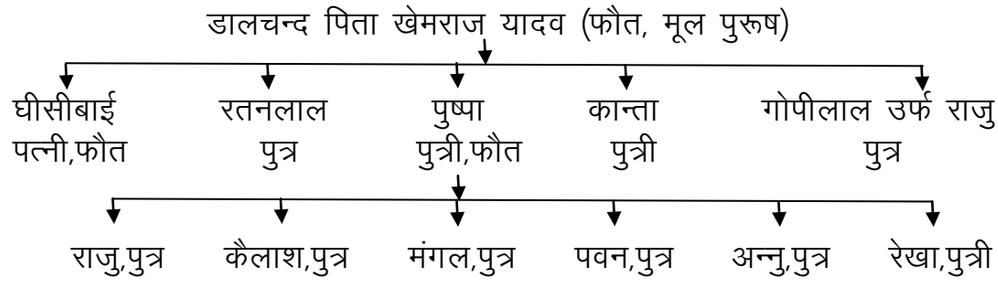

उपरोक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष डालचन्द पिता खेमराज यादव की मृत्यु हो चुकी है व उनके दो पुत्र गोपीलाल उर्फ राजु व रतनलाल एवं दो पुत्रीयां पुष्पा एवं कान्ता का जन्म हुआ। श्रीमती पुष्पा का स्वर्गवास हो चुका हैं।

3. यह कि सजरे अनुसार डालचन्द के निधन के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् दो पुत्र एवं दो पुत्रीयों एवं डालचन्द्र की बेवा घीसीबाई का 1/5 वां, 1/5 वां हिस्सा होकर मौके पर प्रार्थी अपने 1/5 वां हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जे काश्त कर रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 रतनलाल, विपक्षी संख्या 2 कांता, विपक्षी संख्या 3 से 8 की माता पुष्पा तथा प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की माता घीसीबाई द्वारा विपक्षी संख्या 9 से 12 के पति व पिता चुन्नीलाल पुत्र भेरूलाल हरिजन को दिनांक 21.05.1984 को विक्रय कर दी जिसका पंजीयन सबरजिस्ट्रार सनवाड में किया गया। उक्त विक्रय के समय प्रार्थी नाबालिग था जिसका अंकन विक्रय पत्र में किया गया है किन्तु घीसीबाई द्वारा गलत रूप से विधि विरूद्व तरीके से अपने आप को प्रार्थी का संरक्षक बताकर नुमाईशी तौर पर विक्रय पत्र को निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया गया। तत्पश्चात्

विपक्षी संख्या 9 से 12 के पति व पिता चुन्नीलाल पिता भेरूलाल हरिजन के द्वारा और बिना किसी वैध प्राधिकर के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियां भी विधि विरूद्व तरीके से आगे उक्त भूमियों में से आराजी नम्बर 1221, 1222, 1223 की भूमियां नगरपालिका फतहनगर सनवाड को आबादी विस्तार हेतु आबादी में परिवर्तन कर आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ हेतु समर्पित कर दी ऐसे में विपक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 से 8 तक की माता पुष्पा तथा प्रार्थी की माता घीसीबाई के द्वारा उक्त सभी तथाकथित अन्तरण प्रार्थी के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है तथा ऐसे विक्रय के आधार पर आगे किये गये अन्तरण एवं नगरपालिका फतहनगर सनवाड को आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ समर्पण की प्रक्रिया भी स्वतः शून्य हैं ऐसे मैं प्रार्थी को उक्त प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर विक्रय पत्र एवं समर्पण को निरस्त कराने की आवश्यकता ही नहीं हैं। चूंकि उक्त विक्रय एवं समर्पण न तो प्रार्थी की जानकारी में है न ही उनके द्वारा किये गये हैं।

4. यह कि प्रार्थी की माता घीसीबाई द्वारा प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया गया जबकि वक्त विक्रय प्रार्थी नाबालिग था तथा नाबालिग का हिस्सा घीसीबाई पत्नी डालचन्द्र को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था न ही विक्रय पत्र पर प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर किये थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति नाबालिग की सम्पति को विक्रय नहीं कर सकता है एवं यदि नाबालिग की सम्पति को उसके हित में विक्रय किया जाता है तो उसके लिए नाबालिग के संरक्षक को सक्षम न्यायालय से अनुमति लेनी पडती है बिना सक्षम न्यायालय के अनुमति के यदि नाबालिग की सम्पति को विक्रय किया जाता है तो ऐसा विक्रय विधि में प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होता है एवं ऐसे विक्रय पत्र से क्रेता को विक्रय की गई सम्पति पर कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है इस प्रकरण में प्रार्थी के हिस्से की सम्पति को विक्रय करने के लिए ऐसा कोई कारण नहीं था जो कि प्रार्थी के स्वयं के हित में हो न ही विक्रय पत्र में ऐसा कोई हवाला है जिससे भी स्पष्ट है कि घीसीबाई द्वारा प्रार्थी के हिस्से की सम्पति को अपनी मर्जी से ही विक्रय कर दिया। जो प्रार्थी के हितों के मुकाबले शुरू से ही अवैध रद्द व शून्य हैं।

5. यह कि वादग्रस्त भूमियां प्रार्थी के पिता के नाम पर राजस्व कृषि भूमियां होकर प्रार्थी की माता द्वारा विधि विरूद्व तरीके से उक्त भूमियो का तथाकथित रूप से बेचान कर दिया जबकि प्रार्थी का उक्त भूमियों में हक व हिस्सा आज भी निहित है जिसके आधार पर प्रार्थी के द्वारा कृषि भूमियों में अपना हिस्सा घोषित करने की सहायता चाही गयी है जिसकी दाद केवल मात्र माननीय राजस्व न्यायालय आप द्वारा ही दी जा सकती है इसके अतिरिक्त अवैध तरीके से किये गये पश्चात्वर्ती अन्तरण एवं संपरिवर्तन प्रार्थी के कृषि भूमि के स्वत्व अधिकारों की घोषणा के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर

है। जिस सम्बन्ध में अनुशांगिक सहायता भी माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जा सकती है जिससे हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही कारित होगी। इसके विपरीत विपक्षीगण को कोई क्षति कारित नहीं होगी। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि विपक्षीगण, प्रार्थी के 1/5 हिस्से का उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करें अर्थात् विपक्षीगण 4/5 हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त नहीं करे तथा वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार की क्षति कारित नहीं करें, कृषि भूमि के रूप में मौके की स्थिति को परिवर्तन नहीं करे तथा न ही वादग्रस्त भूमियों का किसी प्रकार से हस्तान्तरण ही करें। उक्त कृत्य विपक्षीगण स्वयं एवं अपने नौकर, एजेन्ट आदि से भी नहीं करावें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम सही दर्ज होना एवं वादग्रस्त भूमि का सही विक्रय होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 के मौरूस डालचन्द के नाम दर्ज होना जाहिर आया हैं जो डालचन्द के फौत होने पर विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 व विपक्षी संख्या 3 से 8 के मौरूस तथा प्रार्थी के नाम जरिये संरक्षक माता के रूप में दर्ज हुई। जिसे विपक्षी संख्या 1, 2 व विपक्षी संख्या 3 से 8 की माता तथा प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की माता

घीसीबाई द्वारा विपक्षी संख्या 9 से 12 के पति/पिता चुन्नीलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1984 को विक्रय करना जाहिर होता हैं।

प्रार्थी का कथन है कि वक्त विक्रय प्रार्थी नाबालिग अवस्था में था एवं प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये तथा नाबालिग के हिस्से की भूमि को प्रार्थी की माता को बेचने का अधिकार नहीं था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1220 विपक्षी संख्या 9 से 12 के मौरूस के नाम खातेदारी हक से एवं आराजी नम्बर 1221, 1222, 1223, 1236 संपरिवर्तन होकर नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि वक्त विक्रय एवं वाद प्रस्तुत करने के समय प्रार्थी की उम्र कितनी थी। चूंकि वादग्रस्त भूमि विरासत के आधार पर सन् 1979 एवं 1983 में दर्ज हुई। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र लगभग 34 वर्ष पश्चात् पेश किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी नहीं बताया कि प्रार्थी बालिग होने पर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की क्या कार्यवाही की, ना ही प्रार्थी द्वारा इतने समय पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई ठोस कारण बताया हैं। 1991 में नगरपालिका द्वारा उक्त भूमि को आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तित करते हुए चुन्नीलाल द्वारा चाहे गए अनुसार पृथक–पृथक व्यक्तियों के नाम से भू–खण्डो के पट्टे नगरपालिका द्वारा दिए गए। वादीगण द्वारा विरासत के नामान्तरकरण से लगभग 34 वर्ष बाद, विक्रय के 33 वर्ष बाद एवं संपरिवर्तन के 26 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत किया गया है। जो की न्यायोचित नही है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा है। न्यायालय इस कथन से संतुष्ट नही है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होता तो अवश्य ही संपरिवर्तन के समय प्रार्थी आपत्ति प्रस्तुत करते परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा नही किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है। वैसे भी वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होता तो उक्त भूमि का संपरिवर्तन ही नही होता। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में केवल मात्र प्रथम क्रेता के वारिसान को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रथम क्रेता वादग्रस्त भूमि को आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तन करवाकर पृथक–पृथक भू–खण्डो का विक्रय किया जा चुका है एवं वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज हो चुकी है। ऐसे में प्रथम क्रेता वादग्रस्त भूमि का हितबद्ध पक्षकार नही होकर भू–खण्डो के क्रेता प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। न्यायालय का यह भी मानना है कि वादग्रस्त भूमि का वाद प्रस्तुत करने से 26 वर्ष पहले ही संपरिवर्तन हो गया था। ऐसे में संपरिवर्तित भूमि का वाद राजस्व न्यायालय के सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। संपरिवर्तन के संबंध में प्रार्थी को जानकारी भी थी क्योंकि प्रार्थी स्वयं द्वारा नगरपालिका फतहनगर सनवाड के द्वारा

जारी पट्टो एवं नकल जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। संपरिवर्तन के संबंध में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में यदि खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवानी थी तो ऐसे में वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत नही कर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था या संपवितर्न से संबंधित आदेश की अपील कर वादग्रस्त भूमि को पुनः कृषि भूमि में दर्ज करवाकर ही राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत प्रतिबंधित है। न्यायालय का यह भी मानना है कि वादग्रस्त भूमि का आवासीय संपरिवर्तन होकर मौके पर क्रेताओ द्वारा आवासीय उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (4) 1997 पेज नम्बर 594 का विवेचन किया जाना उचित है, जो निम्नानुसार है।

RAJASTHAN TENACNY ACT 1955. SECTION 207 - Khatedari Rights can not be conferred on the abadi Land - No khatedari rights can be conferred in the abadi Land. The possession of this land was delivered to Housing Borad. The plaintiff respondent was not in possession at the time when suit was suit was filed. Hence Board accepted appeal and set aside the judgment of trial court as well as judgment of R.A.A. Jodhpur. (Para 15 to 17)

उक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि आबादी भूमि का वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। रहा प्रश्न नाबालिग की अवस्था में संरक्षक को भूमि बेचने का अधिकार है या नहीं ? प्रार्थी के उक्त तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन है जिसमें किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं है जिसे लगभग 9 वर्ष व्यतीत हो चुके है परन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो एवं विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो। विपक्षी संख्या 9 से 12 के पति/पिता चुन्नीलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि को दिनांक 15.05.1984 को क्रय किया गया जिसे लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं। चुन्नीलाल सद्भावी क्रेता है। क्रेता द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर वादग्रस्त भूमि को क्रय किया हैं। क्रेता को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही है। विपक्षी संख्या 9 से 12 के पति/पिता चुन्नीलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की हैं। वादग्रस्त भूमि का वर्तमान में आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तन होकर पृथक–पृथक भू–खण्डो का विक्रय किया जा चुका है। इस कारण यदि विपक्षीगण को

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने हिस्से की भूमि पर लोन, रहन, विकास, उपयोग उपभोग नहीं कर पायेंगे। जिससे उन्हे अपने परिवार के पालन पोषण में काफी असुविधाओं का सामना करना पडेगा। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं बताया जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षीगण को पाबंद नहीं करने से प्रार्थी को किस प्रकार की असुविधा हो रही हैं। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि वाद वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही है। विपक्षी संख्या 9 से 12 के पति/पिता चुन्नीलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की हैं। वादग्रस्त भूमि का वर्तमान में आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तन होकर पृथक–पृथक भू–खण्डो का विक्रय किया जा चुका है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे क्रेताओं के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुए है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली